संख्या-37/2021-बी-2-308/दस-2021-एम-01/2021

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ,दिनाँक 09 दिसम्बर, 2021

विषय:- शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजकीय निर्माण एजेन्सियों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों के मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्यों की लागत सीमा निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-5/2015/ई-8-1092/दस -2015-1074/ 2012 दिनाँक 08 सितम्बर, 2015 द्वारा ''उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड' के लिये मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रूपये 20.00 करोड़/रूपये 10.00 करोड़ तक निर्धारित करते हुए उसे तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है।

2- उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया तत्कालिक प्रभाव से 'उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड' को तृतीय श्रेणी की निर्माण एजेन्सी से उच्चीकृत कर, मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रूपये 50.00 करोड़/रूपये 25.00 करोड़ तक निर्धारित करते हुए, द्वितीय श्रेणी की निर्माण एजेन्सी नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- उक्त शासनादेश दिनाँक 08 सितम्बर, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीया,

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त
आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-37/2021-बी-2-308(1)/दस-2021-एम-01/2021, तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
12- निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13- वित्त विभाग के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।
14- विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।